24/4/18 आज P.O.FI. के कोर्ट हैं स्थिति में
जनरल ला दी गई गत आदेशों
की पालना में दिनांक 3/7/18
का पेश हो
राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018
सहायक कलक्टर
टोंक

रामजीलाल बैरवा
बनाम
छूटेलाल
... रामनिवास

27-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कालीपहाड़ी
में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध
रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण बावजूद
तामील के कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुये।
प्रतिवादीगण 1,2,3 तथा एवं कैम्प कोर्ट में उपस्थित
हुये। कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारान को सुना
गया। प्रतिवादीगण के जवाब दावा का अवलोकन
किया गया। वादग्रस्त भूमि का आवंटन, आवंटन कमेटी
के द्वारा विधिवत दिनांक 15-6-89 को आवंटित
[illegible] रेवड़ निवासी कालीपहाड़ी को किया गया है।
आवंटनशुदा भूमि का गैर खातेदारी खातेदारी का
नामान्तरकरण [illegible] रेवड़ [illegible]
के [illegible] से मौका दर्ज [illegible]
[illegible] खातेदार [illegible] रेवड़ के [illegible]

सहायक कलक्टर
टोंक

कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर टोंक जिला टोंक

किस्म मुकदमा

न्याय आपके द्वार 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा माननीय न्यायालय, जिला कलक्टर टोंक में उत्तरवादी रामलाल उर्फ रामजीलाल वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30/11/15 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 2-8-1990 व नामान्तरकरण संख्या 91 में आवंटन के अनुसार गणेशराम पुत्र रेवड़ राम मीणा के स्थान पर भंवरलाल पुत्र रेवड़ मीणा का निरस्तीकरण वादीगण के नाम नामान्तरकरण खुलवाया जाना है। उक्त विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 1967 रकबा 1.45 हे० भूमि को कृषिवादी किशन, मनोहर के द्वारा भूमि का विक्रय-पत्र दिनांक 13-8-2016 को राजन्ती देवी पत्नि प्रभात बैरवा निवासी मालीपहाड़ी के हक में तस्दीक करके जमाबन्दी में अंकित किया गया है। वादीगण के द्वारा वर्तमान खातेदार राजन्ती देवी को पक्षकार नहीं बनाने से वादपत्र में वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण के द्वारा वाद ग्रस्त भूमि को अपनी भूमि के प्राप्त होना तथा अपना कब्जा	

सहायक कलक्टर
टोंक

न्याय आपके द्वार 2018

कायम होना अंकित किया है. जिसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादीगण को उक्त आवंटन से कोई आपत्ति थी तो उक्त आवंटन के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आवंटन को अपास्त कराने चाहिए थी। (आवंटी) प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा वादीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। अनुसूचित जाति के सदस्य पालन की भूमि की आदि घोषणा भी जाति की वादीगण के पक्ष में किया जाना विधि विरुद्ध एवं अवैधानिक है। वादीगण के द्वारा वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाने से मामले में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नतीजा से रुख हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट कालीपहाड़ी में सुनाने आज को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

हस्ताक्षर
[illegible]